

Tear Here

Acceptance of Coins for Transactions or Exchange at Branches

Coins in denomination of 50 paise continue to be valid / legal tender and may be used for transactions in normal course.

Provided that the coin has not been defaced and has not lost weight so as to be less than such weight as may be prescribed in its case.

५० पैसे के मूल्य वर्ग के सिक्के अभी भी मान्य/कानूनी वैध मुद्रा हैं और सामान्य रूप से लेन-देन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

बशर्ते सिक्का विकृत न हो और उसने इतना वजन न गंवाया हो, कि उसका वजन इसके मामले में विनिर्धारित वजन से कम हो।

50 पয়সার মুদ্রা আগের মতোই বলবৎ / বৈধ মাধ্যম থাকবে এবং স্বাভাবিক স্তরের লেনদেনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তবে মুদ্রাটি যেন অচল না হয়ে গিয়ে থাকে আর ক্ষয়ে না যায়, মানে ঐ ওজনের চেয়ে কম, যা এক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়েছে।